संख्या-140/2018/1725/26-3-2018-27(विविध)/2018

प्रेषक,

रवि शंकर मिश्र,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0 लखनऊ।

समाजकल्याण अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक: 29 मई 2018

विषय:- रिट याचिका संख्या 4478/एम0एस0/2017 श्री वेंकटेश्वरा विश्वविद्यालय, अमरोहा,बनाम भारत सरकार व अन्य के अन्तगत पारित मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 29.05.2018 के अनुपालन में श्री वेंकटेश्वरा विश्वविद्यालय, अमरोहा के छात्रों की वर्ष 2014-15 एवं 2016-17 की लम्बित देयता के भुगतान के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय, समाज कल्याण के पत्रांक-648/स.क./शिक्षा-अ/1/2018-19, दिनाक-21.05.2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि रिट याचिका संख्या 4478/एम0एस0/2017 श्री वेंकटेश्वरा विश्वविद्यालय, अमरोहा, बनाम भारत सरकार व अन्य में पारित मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 29.05.2018 के अनुपालन में सम्यक्विचारोपरान्त याची शिक्षण संस्था श्री वेंकटेश्वरा विश्वविद्यालय, अमरोहा के छात्रों की वर्ष 2014-15 एवं 2016-17 की अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की देय धनराशि कुल रूपये-431.40 लाख (रूपये चार करोड़ इक्तीस लाख चालीस हजार मात्र) की चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-83 के योजनान्तर्गत प्राविधानित धनराशि जिसकी स्वीकृति पूर्व में निर्गत की गयी है, से व्यय/भुगतान की अनुमति राज्यपाल महोदय इस शर्त के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में योजना के अन्तर्गत किये जाने वाले कुल व्यय को बजट प्राविधान की सीमा में समायोजित रखा जाना सुनिश्चित करेंगे।

उक्त आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/ बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30 मार्च 2018 में उल्लिखित प्राविधानों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

रवि शंकर मिश्र
अनु सचिव।

पृ.संख्या-140/2018/1725(1)/26-3-2018 तददिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी/लेखापरीक्षा) प्रथम,उ0प्र0,इलाहाबाद।
2. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3. जिला समाज कल्याण अधिकारी, अमरोहा।
4. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-4
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

रवि शंकर मिश्र
अनु साचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।